प्राचार्य का कार्यालय,
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

पत्रांक–1700................/ दिनांक– 06 / 08 /2026

भाड़े पर चारपहिया वाहन लेने हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना

दिनांक– 06.08.2026 को क्रय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय तथा इस संस्थान के सरकारी वाहन का स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण मोटरयान निरीक्षक, बेतिया, पश्चिम चम्पारण के द्वारा उक्त वाहन को प्रतिस्थापन करने की अनुशंसा प्राप्त हुई है, के फलस्वरूप अद्योहस्ताक्षरी को विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु किराये पर वाहन की सेवा अतिआवश्यक है। नया ईनोवा क्रिस्टा (ए०सी०) वाहन की सेवा हेतु इच्छुक वाहन मालिकों/स्वयंसेवी से कोटेशन प्रथम प्रकाशन की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर हाथों–हाथ कार्यावधि 10:00 बजे पूर्वाह्न से संध्या 5:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। यदि 07 वें दिन अगर किसी प्रकार का अवकाश रहता है या किसी अपरिहार्य कारण से प्राचार्य कार्यालय बंद रहता है, तो उसके अगले दिन 05:00 बजे तक कोटेशन प्राप्त की जायेगी। कोटेशन को बिना कारण बताये रद्द/अस्वीकृत्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। विलम्ब से प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को भेजना होगा। कोटेशन टंकित/कम्प्यूटराईज्ड होना चाहिए, हस्तलिखित तथा उद्घर्षण लिप्त लेखन वाले कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशन प्राप्ति की अंतिम तिथि की अगले तिथि को कोटेशन क्रय समिति के द्वारा खोली जाएगी। उक्त तिथि को अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस को कोटेशन खोली जाएगी। कोटेशन खोलने के समय आपूर्तिकर्त्ता स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत्त प्रतिनिधि प्राधिकार–पत्र के साथ उपस्थित रह सकते है। कोटेशन की विस्तृत जानकारी इस संस्थान के वेबसाइट **www.gmcbettiahwc.com** पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

06/08/26

प्राचार्य,
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

ज्ञापांक–1700................/ दिनांक– 06 / 08 /2026

प्रतिलिपि :– सभी सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि :– श्री कुन्दन कुमार, कार्यपालक सहायक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को निदेशित है कि उक्त कोटेशन एवं शर्त्त के साथ संलग्न विहित प्रपत्र को चिकित्सा महाविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित।

06/08/26

प्राचार्य,
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

i. ईनोवा क्रिस्टा (ए०सी०) वाहन का भाड़ा (चालक का पारिश्रमिक सहित) निम्नांकित प्रपत्र में दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

विहित प्रपत्र

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	प्रतिमाह 1100 कि०मी० ईंधन सहित मासिक भाड़ा (चालक एवं सभी करो सहित) दर	अभ्युक्ति
1	नया ईनोवा क्रीस्टा (ए०सी०) वाहन		

किसी भी परिरिथति में वाह्य स्त्रोत से सेवा लेने की दर बिहार पर्यटन विकास निगम के द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. **कोटेशन के नियम एवं अन्य शर्तें :–**

i. सफल आपूर्तिकर्त्ता को चालक का बायोडाटा तथा चालक व्यवसायिक ड्राईविंग लाईलेंस प्रस्तुत करना होगा।

ii. वित्तीय आपूर्तिकर्त्ता स्वीकृति पश्चात् कार्यादेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

iii. सरकार (श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना) के मापदण्ड के अनुसार चालक को न्यूनतम दैनिक मजदूरी का भुगतान करना होगा तथा ई०पी०एफ० आदि कटौती नियमानुसार करना होगा।

iv. वाहन के रख–रखाव, परिचालन, मरम्मति, डीजल, मोबिल एवं अन्य सभी प्रकार का व्यय वाहन मालिक को स्वयं वहन करना होगा, इसके लिए किसी प्रकार की अलग से राशि देय नहीं होगी।

v. वाहन 24 (चौबीस) घंटे कॉलेज प्रशासन के अधीन रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है, तो माह के भाड़े का भुगतान नहीं किया जायेगा और जमानत की राशि जब्त करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा किसी भी दिन परिचालन आपूतिकर्त्ता द्वारा बन्द करने पर मो० 1000.00 (एक हजार) रूपये प्रतिदिन के दर पर कटौती किया जायेगा।

vi. वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर उसे तत्काल मुक्त किया जा सकेगा।

vii. क्रय समिति के द्वारा अनुशंसित न्यूनतम निर्धारित दर के अनुरूप वाहन मालिक के साथ एकरारनामा किया जाएगा।

viii. न्यूनतम आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ससमय वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में किसी भी वाहन मालिक से व्यवसायिक निबंधन वाले वाहन उपरोक्त निर्धारित अधिकतम दर पर लिया जा सकेगा।

ix. कोटेशन 3 (तीन) वर्ष के लिए होगी। कॉलेज/क्रय समिति के निर्णयानुसार अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

x. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार जी०एस०टी० एवं आयकर कटौती के पश्चात् भुगतान की जाएगी।

xi. बिहार सरकार से प्राप्त आवंटन से विपत्र का भुगतान किया जाएगा। कतिपय कारणों से आवंटन नहीं रहने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में

विपत्र का भुगतान में विलम्ब हो सकता है। विलम्ब के लिए किसी प्रकार का सूद/ब्याज देय नहीं होगा।

xii. वाहन अपेक्षाकृत्त नया तथा हर तरह से दुरूस्त होना चाहिए।

xiii. आपूर्तिकर्त्ता का कोटेशन विहित शर्त्तों के अधीन खोली जाएगी।

xiv. किसी तरह के विवाद का निपटारा, बेतिया न्यायालय में होगा।

xv. अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

xvi. कोटेशन के सभी पृष्ठ पृष्ठांकित करते हुए विस्तृत उल्लेख अग्रसारण पत्र पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा।

xvii. वाहन का व्यवसायिक निबंधन होना आवश्यक होगा।

xviii. वाहन का बीमा एवं Fitness अद्यतन होना आवश्यक होगा।

xix. वाहन का अद्यतन कर भुगतान होना चाहिए।

xx. अपेक्षाकृत नया वाहन होना चाहिए।

06/08/26

प्राचार्य,
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

06/8/26